

उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ०प्र० सरकार द्वारा गठित)
10 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ

पत्रांक : जी-11/468/एस०एच०सी०/10

दिनांक : 02.08.2010

प्रेस विज्ञप्ति

हज-2010 में जाने वाले हज यात्रियों का कोटा 26,519 का था, अन्तिम तिथि तक 25,202 लोगों ने हज आवेदन फार्म जमा किया है तथा अब तक लगभग 21,500 पासपोर्ट जमा हो चुके हैं। शेष हज यात्रियों हेतु विशेष अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट जारी कराये जाने हेतु उ०प्र० राज्य हज समिति के स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं।

ऐसे लगभग 1300 चयनित हज यात्री जिन्होंने किसी कारणवश अपना आवेदन निरस्त करा लिया या जाने के इच्छुक नहीं हैं तथा अन्तिम तिथि तक अपना फार्म एवं पासपोर्ट जमा नहीं किया है या ऐसी बची हुयी सीटों को दोबारा भरे जाने हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली व हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई से द्वितीय प्रतीक्षा सूची बनाये जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है। जिसके लिये हज समिति के विशेष कार्याधिकारी (हज) विदेश मंत्रालय व हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई के अधिकारियों से सम्पर्क करने दिल्ली गये हैं। चूंकि हज कमेटी आफ इण्डिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सऊदी अरब गये हुए हैं जो लगभग दस दिन उपरान्त लौटेंगे, उनके लौटने पर ही द्वितीय प्रतीक्षा सूची हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने की अनुमति मिल पायेगी।

आज दिनांक 02 अगस्त, 2010 के कुछ समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना प्रकाशित हो गयी है कि “दिनांक 02 अगस्त, 2010 से खाली जगह भरने हेतु द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिये उ०प्र० राज्य हज समिति के कार्यालय में हज फार्म व पासपोर्ट जमा होंगे”। ऐसी कोई भी सूचना उ०प्र० राज्य हज समिति की ओर से जारी नहीं की गयी है। समस्त प्रतीक्षा सूची हेतु इच्छुक आवेदनकर्ताओं से अनुरोध है कि वह उ०प्र० राज्य हज समिति की हेल्पलाइन नम्बरों :- 0522-6591138, 6591139, 6590893 एवं 9235610680 व वेबसाइट www.uphajcommittee.com पर जानकारी करने के उपरान्त ही कार्यालय से सम्पर्क करें।

(डा० एम०ए०ए० खान)
विशेष कार्याधिकारी (हज)
उ०प्र० राज्य हज समिति,
लखनऊ